



Neutral Citation No. –

2026:AHC:17235

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका - बी संख्या - 88 वर्ष 2026

श्रीमती कृष्णा कुमारी

याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य

उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के वकील	:	द्विजेन्द्र प्रसाद,	प्रद्युम्न कुमार
प्रतिवादी के वकील	:	अविनाश चंद्रा	श्रीवास्तव,
		सीएससी	

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति।

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार तिवारी, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता और ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री अविनाश चंद्र श्रीवास्तव की दलीलें सुनीं।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

“(i) प्रतिवादी संख्या 2 राजस्व बोर्ड सर्किट कोर्ट- 2 आगरा को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 210 के तहत प्रतिवादी संख्या 6 से 10 द्वारा दायर पुनरीक्षण संख्या 51/2024 (कंन्व्यूटरीकृत मामला संख्या AG2024011490051) पर अन्यथा इस माननीय न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों के अधीन उचित समझे जाने वाले निर्धारित समय के भीतर निर्णय लेने का निर्देश देने वाला परमादेश रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।”

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38 (2) के तहत कार्यवाही से उत्पन्न प्रतिवादी संख्या 6 से 10 द्वारा दायर उपर्युक्त पुनरीक्षण याचिका प्रतिवादी संख्या 2-राजस्व बोर्ड के समक्ष 5.3.2024 से लंबित है। उन्होंने लंबित कार्यवाही की आदेश पुस्तिका भी प्रस्तुत की, जिसे याचिका के अनुलग्नक संख्या 3 के रूप में संलग्न किया गया है, ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि मामले की कार्यवाही में तेजी नहीं आ रही है।

4. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका का अंततः निपटारा कर दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 2-राजस्व बोर्ड को निर्देश दिया जाए कि वह उपर्युक्त लंबित पुनरीक्षण पर कानून के अनुसार शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद निर्णय ले।

22 जनवरी, 2026

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"